न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध संख्या 07 / 2013 (2013 / 00002)

प्रार्थी :–

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना बालेसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. सवाईराम पुत्र रावताराम, जाति जाट, निवासी जेठानिया, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. सोनाराम पुत्र रेवतराम, जाति देवासी, निवासी मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तसुदा डीजल व टैंकर को राज्यसात् करने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अनुपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री खेमाराम विश्नोई व अशोक विश्नोई (अप्रार्थीपक्ष)।

–: निर्णय :– दिनांक :– 03.01.2023

थानाधिकारी पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर बतलाया कि थानाधिकारी हुकमसिंह मय कानि. अचलदान 580, कानि. बाकाराम मय सरकारी जीप चालक हुकमाराम 165 दिनांक 20.10.2013 को वास्ते एम.वी. एक्ट चैंकिग व हल्का गश्त रवाना होकर आगोलाई वक्त 8:40 ए.एम. पहुॅचकर एन.एच. 114 पर नाकाबंदी शुरू की गई तो दौराने चैंकिग वक्त 9:00 ए.एम. जोधपुर की तरफ से एक वाहन टैंकर आर.जे. 19–01–8051 आई जिसको रूकवाकर कागजात च चालक का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम सवाईराम पुत्र श्री रावताराम जाति जाट निवासी– जेठानिया होना बताया। कागजात वाहन के पेश नहीं किये तथा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका पुछने पर बताया कि उक्त डीजल सफी एण्ड सन्स आई.ओ.सी. डीलर ग्राम कांकाणी से भरकर फोक्स एनर्जी जैसलमेर ले जा रहा हूॅ। जिस पर वाहन नं0 आर.जे. 19–01–8051 को धारा 207 एम.वी. एक्ट में जब्त किया गया। सवाईराम को टेंकर में डीजल बाबत पुछा तो सवाईराम ने टेंकर में 12000 लीटर डीजल भरा हुआ होना बताया। उक्त डीजल मोहम्मद सफी एण्ड सन्स आई.ओ.सी. डीलर ग्राम कांकाणी जिला जोधपुर से भरवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested

बताया तथा फोक्स एनर्जी जैसलमेर ले जाना बताया। उक्त 12000 लीटर डीजल के बिल, अनुज्ञा–पत्र परमिट बाबत् पूछा तो सवाईराम ने बिल क्रमांक–7473 से 7484 तक के अलावा अन्य कोई कागजात पेश नहीं किए। प्रस्तुत बिल पर दिनांक भी अंकित नहीं थी। इस बाबत् प्रवर्तन अधिकारी रसद अधिकारी को बताया गया। उक्त टेंकर आर.जे. 19–01जी–8051 के मालिक व वाहन रिलीज करवाने का प्रार्थना पत्र जे.एम.कोर्ट बालेसर में पेश किया गया। जे.एम. ने जरिये पत्र क्रमांक 994 दिनांक 30.10.2013 के अनुसार उक्त वाहन में भरे डीजल को भरवाने व डीजल संग्रहण एवं परिवहन लाईसेंस की जांच की या नहीं बाबत् सूचना चाही गई तथा न्यायालय द्वारा जिलाधीश जिला जोधपुर को उक्त डीजल टेंकर के सम्बन्ध में कार्यवाही करवाने हेतु लिखा गया। उक्त जब्त 12000 लीटर डीजल बिना लाईसेंस व परमीट के अपने कब्जे में रखकर परिवहन करना जुर्म 3/7 ई.सी. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है।

उक्त जब्त टेंकर के तीनों ब्लॉक में 4000–4000 लीटर अवैध डीजल भरा हुआ पाया गया। यह प्रकरण दर्ज कर वाहन चालक सवाईराम एव वाहन मालिक सोनाराम पुत्र रेवतराम देवासी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 बी के तहत नोटिस जारी कर हाजिर होकर जवाब चाहा गया। जिसका जवाब वाहन मालिक सोनाराम की ओर से प्रस्तुत किया गया कि वाहन जब्ती के समय स्थान आगोलाई में बिलों के अनुसार 12000 लीटर डीजल एवं डीजल जब्ती के समय स्थान बालेसर में भी 12000 लीटर सहीं पाया गया। डीजल के बिल फोक्स एनर्जी के नाम से थे, केवल डीजल का परिवहन करना पाया गया। धारा–3 का किसी भी तरह से उल्लघंन नहीं हुआ है। थानाधिकारी हुक्म सिंह एवं उप अधीक्षक श्री हिमांशु को जिरह से लिए तलब किया गया। उप अधीक्षक को तलब करने के बावजूद एक बार भी उपस्थित नहीं हुए एवं थानाधिकारी श्री हुकम सिंह को बार–बार तलब करने के बावजूद दिनांक 13.03.2018 को केवल एक बार आये और अपूर्ण जिरह छोड़कर गये जो वापिस नहीं आये। पत्रावली में अप्रार्थीपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस में पुलिस की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता ने मौखिक जिरह की और लिखित में तर्क भी पेश किये जो निम्न प्रकार है :–

1. प्रथमतः वाहन जब्ती 20.10.2013 स्थान आगोलाई की फर्द मौका में थानाधिकारी हुकम सिंह के हस्ताक्षर ही नहीं है, चैंकिग एवं जब्ती एस.सी. अखेसिंह ने की थी जो फर्द के रिकॉर्ड पर है तथा डीजल के संबंध में कोई आरोप नहीं होने से जब्त नहीं किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested

2. थानाधिकारी बालेसर ने वाहन जब्ती का इस्तागासा जे.एम. कोर्ट बालेसर में पेश कर डी. एल., आर.सी., परमिट, आईसी नहीं होने का आक्षेप लगाया। कोर्ट बालेसर ने एम.वी. एक्ट के केस में 29.10.2013 के आदेश में 5150/– दंड दिया एवं डीजल परिवहन हेतु लाईसेंस 30.10.2013 को वाहन मालिक को पेश करने का निर्देश दिया ताकि मय डीजल वाहन रिलीज कर सके। कार्यवाही हो चुकी है अन्य किसी प्रकरण में वाहन अपेक्षित न हो तो बाद रसीद वाहन लौटावें। इससे पूर्व थानाधिकारी पुलिस थाना बालेसर ने डीजल निस्तारण बाबत् ए.पी.पी. बालेसर की राय से तहरीर देकर उप अधीक्षक से जब्त डीजल 02.11.2013 को धारा 3/7 में करवाकर एफ.आई.आर दर्ज कर ली गई तथा 04.12.13 को 6 ए में निस्तारण हेतु निवेदन दिया।
3. पुलिस ने डीजल के बिलों पर तारीख का अंकन नहीं होने का आरोप लगा कर धारा 3/7 का अपराध बताया है जबकि ऐसे बिलों की न तो प्रतियां ही पेश की और न ही बिलो पर तारीख अंकित न होने का साक्ष्य पेश किया है जबकि वाहन मालिक द्वारा पेश किये गये बिलों पर तारीखें अंकित है।
4. मुंसिफ कोर्ट बालेसर की दिनांक 30.10.13 की आदेशिका में पुलिस बालेसर को तेल अपने कब्जे में रखने का निर्देश दिया था लेकिन थानाधिकारी ने उक्त डीजल को उप अधीक्षक पुलिस बालेसर से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में दिनांक 02.11.13 में जब्त करवाकर एफ.आई.आर. भी दर्ज कर ली। पुलिस थाना बालेसर में उक्त डीजल को 20.10.2013 से 01.11.2013 तक अवैध रूप से बिना जब्ती के रखे जाने के न तो बालेसर कोर्ट को और न ही संबंधित जिला कलक्टर को जानकारी दी।
5. पुलिस ने तेल भंडारण एवं परिवहन करने के लिए परमिट अर्थात लाईसेंस न होने की बात की है, वह ई.सी. एक्ट के तहत न दिया जाकर पैट्रोलियम एक्ट के तहत दिया जाता है। जिसके मौके पर न दिखाने के कारण परमिट न होकर लाईसेंस था, जिसका उल्लेख प्रथम बार 28.10.2013 को किया है। उक्त लाईसेंस मुंसिफ कोर्ट में पेश न करने के कारण यह प्रकरण जानकारी के अभाव में ई.सी. एक्ट में मामला न बनते हुए भी दर्ज किया गया।
6. डीजल भंडारण एवं परिवहन करने का लाईसेंस वाहन मालिक की ओर से माननीय कोर्ट में पेश किया गया जो अब पत्रावली में है जिसके क्रमांक संख्या पी./एन.जे. /आरजे/11/8321(पी 282587) जारी दिनांक 18.11.2011 वाहन आर.जे. 19–01जी–8051 वैधता दिनांक 31.12.13 दर्ज है।
7. द एस.सी. कैसेज (1996) एस.एस.सी.सी. विजय कुमार अग्रवाल बनाम उड़ीसा राज्य के वाद में निर्धारित है कि केवल भंडारण [illegible] करने के लिए ई.सी. एक्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested

लाईसेंस की जरूरत नहीं है। खरीद फरोख्त करने के लिए जरूरी है। पैरा 3(2), 14, 22।

8. जिरह में श्री हुकम सिंह को कई बार तलब करने पर दिनांक 13.03.18 को उपस्थित हुए लेकिन उप अधीक्षक हिमांशु हाजिर नहीं हुए। श्री हुकम सिह थानाधिकारी जिरह में संतोषजनक उत्तर न देते हुए 08.04.2018 के लिए पाबंद होकर गये लेकिन समुचित अवसर प्रदान करने पर भी आगामी तारीख पेशियों पर उपस्थित नहीं हुए और न ही पुलिस की ओर से पैरवी के लिए पैरोकार उपस्थित हुए।

पत्रावली का अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया। अप्रार्थी का टेंकर जिसके रजि0 नं आर.जे.19–01जी–8051 को स्थान आगोलाई थाना बालेसर में थानाधिकारी हुकम सिंह ने नहीं बल्कि हेड कांस्टेबल अखेसिंह ने चैक किया तो डी.एल, आर.सी., परमिट, आई.डी. वाहन चालक सवाईराम के पास नहीं पाये गये तब वाहन एम. वी. एक्ट की धारा 207 में जब्त किया जिसमें 12000 लीटर डीजल भरा हुआ था। जिसके बिल मौके पर ही पेश कर दिये तब वाहन थाने ले गये। दिनांक 28.10.2013 को जे.एम. बालेसर को एम.वी. एक्ट 207 में इस्तगासा पेश किया। जुर्म कबूल करने पर 5150 रूपये का जुर्माना लगाया जिसे रसीद संख्या 66969104 के द्वारा दिनांक 28.10.2013 को ही अप्रार्थी ने जमा करा दिये लेकिन 12000 लीटर डीजल परिवहन हेतु लाईसेन्स पेश नहीं किया गया। जिसके पेश करने पर ही वाहन रिलिज का आदेश कोर्ट ने दिया तथा पत्रावली दिनांक 30.10.2013 को रखी गई। उसके बाद में दिनांक 06.11.13 को भी पालना नहीं हुई तो 12.11.13 को आदेश दिया कि जब्तशुदा वाहन की आवश्यकता नहीं है। अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो वाहन रसीद देकर लौटाया जावे।

उप अधीक्षक पुलिस बालेसर ने बिना किसी कोर्ट के निर्देश के पुलिस थाना बालेसर दिनांक 01.11.13 को पहुँचकर थानाधिकारी के पत्रांक 4540 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार फर्द जब्ती बनाकर बिना वैध लाईसेंस के डीजल परिवहन करना पाया जाना बताकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में जब्त कर लिया जबकि जे.एम. कोर्ट ने टेंकर दिनांक 30.10.2013 को रिलिज होने तक उप अधीक्षक पुलिस को अपने कब्जे में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। जिसकी पालना न कर टेंकर को दूसरी बार मय डीजल के जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात् किये जाने हेतु 04.12.13 को प्रार्थना–पत्र पेश किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested

पुलिस ने डीजल बिल के अनुसार सही गन्तव्य स्थल कांकाणी से भरा जाकर टेंकर फोक्स एनर्जी जैसलमेर जाते हुए को एम.वी. एक्ट में आगोलाई में चैक कर जब्त कर एम.वी. एक्ट में जे.एम. कोर्ट बालेसर में इस्तागासा दिनांक 28.10.2013 को पेश किया जिसका जुर्माना उसी दिन जमा करा दिया लेकिन डीजल परिवहन हेतु लाईसेंस की नासमझी की वजह से डीजल का परमिट बोलते रहे जबकि मुंसिफ कोर्ट बालेसर ने परिवहन हेतु परमिशन बाद में उप अधीक्षक ने डीजल परिवहन लाईसेंस का उल्लेख किया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी न होकर पेट्रोलियम एक्ट के तहत जारी होता है जो पत्रावली में है जो जयपुर से 18.11.11 को वाहन नं आर.जे. 19–01जी–8051 के लिए जारी हुआ जिसकी वैधता 31.12.2013 तक थी जिसके लाईसेंस नं पी./एन.जे./आरजे/11/8321(पी 282587) थे। प्रार्थी को समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी न्यायालय में जिरह व साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हुए। अतः पुलिस विभाग की जांच रिपोर्ट में बिना अनुज्ञा–पत्र डीजल परिवहन करने के तथ्य मानने योग्य नहीं है तथा प्रार्थीपक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा कि अप्रार्थीपक्ष द्वारा अवैध रूप से डीजल परिवहन किया जा रहा था। अतः अप्रार्थीपक्ष के विरूद्ध धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण नहीं बनता है, परिणामस्वरूप प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है तथा इस प्रकरण में पूर्व में बैंक गारंटी नं0 INBG09615000003 अक्षरे छः लाख उनसाठ हजार चालीस रूपये जो डी. सी. बी. बैंक चौपासनी रोड़ जोधपुर में जमा है को अप्रार्थी को नियमानुसार लौटाई जावे। बैंक गारंटी समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 03.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested